63

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।

क्रमांक 1696-ए०क० (1)

दिनांक 18-8-2009

विषयः— **डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी छात्र संशोधित योजना ।**

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 75—स.क.(1)—2008 दिनांक 16—1—08 के संदर्भ में ।

हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्ग के मेद्यावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2009—10 के सैशन से डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी छात्र योजना नामक संशोधित योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस स्कीम में विभाग द्वारा पहले से कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित तीन स्कीमें मर्ज कर दी गई हैं ।

1) Providing of free residential facilities to the meritorious SC students.

2) Merit scholarship to SC girl students from 9th to 12th classes.

3) Meritorious Incentive to the Scheduled Caste students who get division from Post Matric to Post Graduate.

स्कीम का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

2. उद्देश्य

शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्गो के छात्र अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से इन वर्गो के छात्र उच्च कक्षाओं में सामान्य श्रेणी के छात्रों के मुकाबले में पिछड जाते हैं । इसलिए इन वर्गो के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के उदेश्य से उनका मनोबल बढाने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में सम्मानित किया जाना आवश्यक है । अतः इस स्कीम का मुख्य उदेश्य अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्गो के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करके मिडल से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है ।

-70-

3.छात्रवृति की दरें

क) अनुसूचित जाति

छात्रवृति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2		3	4
मिडल	75	70	9वीं	4000/–
मैट्रिक	75	70	11वीं तथा सभी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000/–
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1) आर्टस 2) कामर्स/साईस तथा सभी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष 3) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सिज 4) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	 6000/– 8000/– 9000/– 10,000/
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1) आर्टस/कामर्स/साईस 2) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्सिज 3) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	 9000/– 11000/– 12000/–

ख) पिछडे वर्ग ब्लॉक ए

छात्रवृति की की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
मैट्रिक	80	75	11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000/–

ग) पिछडे वर्ग ब्लॉक बी

छात्रवृति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष
	शहरी	ग्रामीण		
मैट्रिक	90	85	11वीं तथा सभी डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000/–

4. छात्रवृति हेतु पात्रता की शर्ते

1. विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए ।
2. अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्गो के छात्रों को यह छात्रवृति स्कीम के पैरा नं0 3 में वर्णित कक्षाओं में सभी स्कीमज में आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी ।

3. यह छात्रवृति सभी सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी ।

4. यह स्कीम मैरिट पर आधारित है। इसलिए जो छात्र इन वर्गो के छात्रों हेतु चलाई जा रही सामान्य स्कीमों के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र इस स्कीम के अन्तर्गत भी छात्रवृति पाने के पात्र होंगे, परन्तु मैरिट आधारित किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे ।

5. **क्षेत्र अनुपात**

यह छात्रवृति 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को तथा 40 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के छात्रों को प्रदान की जाएगी । किसी क्षेत्र के निर्धारित रेशों से कम छात्र पाए जाने पर छात्रवृति दूसरे क्षेत्र के छात्रों को प्रदान कर दी जाएगी ।

6. **स्कीम को परिपालित करने की प्रणाली**

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों/अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा पात्र छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएगें । छात्र अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण रूप से भरकर अपने मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/संस्था के मुखिया के माध्यम से अपने मूल जिले के जिला कल्याण अधिकारी को विभाग द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवश्य भेजेगें । आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति/पिछडी जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र तथा आधार परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां लगानी आवश्यक होंगी तथा आवेदन पत्र फार्म के साथ विद्यार्थी अपना बैंक खाता नं0 व बैंक के पूर्ण पते सहित विवरण/कागजात भी साथ सलंग्न करेगा । अधूरे/अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द किए जा सकते हैं । निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों सहित चैक करके छात्रवृति स्वीकृत की जाएगी । आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष विभाग द्वारा 31 अगस्त तक विज्ञापन जारी किया जाएगा तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर होंगी । विभाग द्वारा आवेदन पत्रों की जांच आदि का कार्य 31 अक्तूबर तक पूरा किया जाएगा तथा 30 नवम्बर तक राशि छात्रों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी ।

7. **राशि स्वीकृति तथा आदान एवं वितरण अधिकारी**

स्कीम के पैरा नं0 3 में वर्णित विवरण अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्ग के छात्रों को राशि स्वीकृत करके खजाने से ड्रा करने हेतु सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी सक्षम होंगे तथा स्वीकृत राशि उन द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ।

8. स्कीम को सुचारू रूप से परिपालना हेतु आवश्यक हिदायतें जारी करने के लिए निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा सक्षम होंगे, जो कि इस स्कीम के कन्ट्रोलिंग अधिकारी हैं ।

9. यह संशोधित स्कीम वित्त वर्ष 2009--10 से परिपालित की जाएगी । वित्त वर्ष 2008--09 के दौरान पुरानी डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी छात्र योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्रों को दूसरे वर्ष 2009--10 में अर्थात नवीकरण के केसिज में छात्रवृति पूर्व दरों पर ही दी जाएगी । इसी प्रकार जो अन्य तीन स्कीमें इस स्कीम में मर्ज की गई हैं, उनके अन्तर्गत वर्ष 2008--09 तक का एरियर उन स्कीमों की पूर्व दरों अनुसार चालू वित्त वर्ष 2009--10 में दिया जाएगा ।

72

10 लेखा शीर्ष

यह राशि विभाग के निम्नलिखित लेखा शीर्ष में से सम्बंधित जिला के खजाना से जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा ड्रा करके वितरित की जाएगी :–

'2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछडे वर्गो का कल्याण, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा, 77–डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी छात्र योजना (प्लान)' 2009–10

यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशाः कमांक 1/24/92–5एफ0जी0–11/1615 दिनांक 13–8–09 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

सयुंक्त सचिव,
कृतेःवित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ ।

पृ0 कमांक 1696- स0क0 (1) दिनांक 18-8-2009

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ ।
2- महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
3- वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
4- उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला ।
5- महानिदेशक, सकैण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
6- महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकूला ।
7- निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
8- निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
9- सभी उपायुक्त,हरियाणा राज्य में ।
10- रजिस्ट्रार, हरियाणा राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय ।
11- सचिव, केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पंचकूला ।
12- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
13- सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

सयुंक्त सचिव,
कृतेःवित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ ।

इसकी एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशाः कमांक 1/24/92–5एफ0जी0–11/1615 दिनांक 13–8–09 के संदर्भ में प्रेषित है ।

सयुंक्त सचिव,
कृतेःवित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ ।

सेवा में

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशाः कमांक 1696- स0क0 (1) दिनांक 18-8-2009

APPLICATION FOR GRANT OF SCHOLARSHIP TO SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES STUDENTS UNDER DR. AMBEDKAR MEDHAVI CHHATAR YOJNA

To

The District Welfare Officer,

____

1. Name of the student (Capital Letter)
2. Father's Name
3. Date of birth
4. Caste belongs to: SC or BC-'A' or BC-'B' (with name of particular caste)
5. Present Address.
6. Permanent Address.
7. Name of the school last attended
8. Name of the Board/University from which Middle/ Matriculation/10+2 /Graduate/Post Graduate Level Examination passed.
9. Year of passing.
10. Roll No.
11. Total Marks_____ Marks Obtained_____ Grade/Percentage_____ Division _____
12. Name of the Institution/ School in which studying
13. Name of Class/Course in which studying
14. Bank Account No. of the student
15. Name and address of the Bank

Signature of the student

Certified that Mr./Miss______________________ S/o.D/o __________________ is a bonafide student of this school/college/institution/University and studying in_____ Class and he/she is not receiving/received any other meritorious scholarship.

Signature of the Head of the Institutions/ School
(with Seal and Date)

Documents attached

1. Attested copy of Harvana Domicile Certificate.
2. Attested copy of Caste Certificate.
3. Attested copy of the class passed on the basis of which the scholarship is being claimed.
4. Attested copy of Bank Account No.

74

अनुसुचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ

पृ.ष्ठांकन कमांक पी–4/09/ 25695-25700 दिनांक 20/8/09

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्यालय ।
2. संयुक्त निदेशक, मुख्यालय ।
3. उपनिदेशक(प्रशिक्षण), मुख्यालय ।
4. उपनिदेशक(स्कीम), मुख्यालय ।
5. आंकड़ा अधिकारी, मुख्यालय ।
6. अनुसंधान अधिकारी, मुख्यालय ।

उप–निदेशक (योजना)
कृते: निदेशक, अनुसुचित जातियां एवं पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ।

"CONSERVE WATER-SAVE LIFE"

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

क्रमांकः 1198-SW-(1)2016

दिनांकः 15-9-2016

विषयः— डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना ।

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 75—स.क.(1)—2008 दिनांक 16.01.08 तथा पत्र क्रमांक 1696 — स.क. (1) दिनांक 18.8.09 के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में वर्ष 2016—17 से निम्नलिखित संशोधन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र0 सं0	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के छात्रों के लिये	अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के साथ—साथ विमुक्त, घुमंतु, अर्ध—घुमंतु और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिये भी ।
2.	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृति की दरें	अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतु, अर्ध—घुमंतु और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिये अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृति की दरें

वर्तमान प्रावधान:

छात्रवृति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मिडल	75	70	9वीं	4000
मैट्रिक	75	70	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष	8000
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्टस 2. कॉमर्स/साईंस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिस 4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	 6000 8000 9000 10000
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्टस/ कॉमर्स/साईंस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिस 3. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	 9000 11000 12000

संशोधित प्रावधान:

छात्रवृति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मिडल के लिये प्रावधान नहीं ।				
मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष	8000
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्टस 2. कॉमर्स/साईंस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष 3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिस 4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	 8000 8000 9000 10000
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1. आर्टस/ कॉमर्स/साईंस 2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिस 3. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	 9000 11000 12000

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>वर्तमान प्रावधान</th><th>संशोधित प्रावधान</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिछडे वर्ग ब्लाक 'ए' के छात्रों के लिये अंकों की प्रतिशतता् व छात्रवृति की दरें
<table>
<tr><td>छात्रवृति की आधार परीक्षा</td><td colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</td><td>कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।</td><td>छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)</td></tr>
<tr><td></td><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>मैट्रिक</td><td>80</td><td>75</td><td>11वीं व सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष</td><td>8000</td></tr>
</table></td><td>पिछडे वर्ग ब्लाक 'ए' के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृति की दरें
<table>
<tr><td>छात्रवृति की आधार परीक्षा</td><td colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</td><td>कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।</td><td>छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)</td></tr>
<tr><td></td><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>मैट्रिक</td><td>70</td><td>60</td><td>11वीं व सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष</td><td>8000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>पिछडे वर्ग ब्लाक 'बी' के छात्रों के लिये अंकों की प्रतिशतता् व छात्रवृति की दरें
<table>
<tr><td>छात्रवृति की आधार परीक्षा</td><td colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</td><td>कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।</td><td>छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)</td></tr>
<tr><td></td><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>मैट्रिक</td><td>90</td><td>85</td><td>11वीं व सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष</td><td>8000</td></tr>
</table></td><td>पिछडे वर्ग ब्लाक 'बी' के छात्रों के लिये अंकों की प्रतिशतता् व छात्रवृति की दरें
<table>
<tr><td>छात्रवृति की आधार परीक्षा</td><td colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</td><td>कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।</td><td>छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)</td></tr>
<tr><td></td><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>मैट्रिक</td><td>80</td><td>75</td><td>11वीं व सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष</td><td>8000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>छात्रवृति हेतु पात्रता की शर्तें
1. विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति या पिछडे वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए ।
2. कोई आय सीमा नहीं ।</td><td>विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति, पिछडे वर्ग विमुक्त, घुमंतु, अर्ध–घुमंतु और टपरीवास श्रेणी से सम्बंधित होना चाहिए ।
सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो ।</td></tr>
</table>

3. स्कीम की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशाः क्र0 1/24/1992–5 एफ0जी0–II/26739 दिनांक 08.09.2016 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

सीमा

अधीक्षक,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण
विभाग, चंडीगढ़ ।

पृ0क्र0 1198-SW-(1)2016 दिनांकः 15-9-2016

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हरियाणा।
4. निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
5. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
6. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, हरियाणा, पंचकूला ।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
8. निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ
9. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
10. रजिस्ट्रार, हरियाणा राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय ।
11. सचिव, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पंचकूला ।
12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
13. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

सीमा

अधीक्षक,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण
विभाग, चंडीगढ़ ।

एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के ~~उनके~~ अशा क0 1/24/1992-5 एफ0जी0-II/26739 दिनांक 08.09.2016 के संदर्भ में प्रेषित है ।

अधीक्षक,
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण
विभाग, चंडीगढ़ ।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशाः क0 1198-SW-(1)2016 दिनांकः 15-9-2016

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

क्रमांक: 174-SW-(1) 2018
दिनांक: 7-2-2018

विषय:– डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना ।

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 75–स.क.(1)–2008 दिनांक 16.01.08, क्रमांक 1696 – स.क. (1) दिनांक 18.8.09 तथा क्रमांक 1198–एस.डबल्यु.(1)–2016 दिनांक 15.09.2016के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आयसीमा 2.50 लाख रू0 से बढ़ाकर 4.00 लाख रू0 कर दिया गया है ।

3. स्कीम की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशा: क0 1/124/92–5 एफ0जी0–II/38002 दिनांक 6.02.2018 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

Raghubir Singh
अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ0क0 174-SW-(1) 2018 दिनांक: 7-2-2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
3. वितायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. उच्चतर शिक्षा आयुक्त हरियाणा, पंचकूला ।
5. महानिदेशक, सकैण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
6. महानिदेशक, स्वास्थय सेवाऐं, हरियाणा, पंचकूला ।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
8. निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ ।
9. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
10. रजिस्ट्रार, हरियाणा राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय ।
11. सचिव, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पंचकूला ।
12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
13. उपनिदेशक प्रशिक्षण, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।

14. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
15. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Raghubir Singh
अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा: क0 1[illegible]124/92–5 एफ0जी0–II/38002 दिनांक 6.02.2018 के संदर्भ में प्रेषित है ।

Raghubir Singh
अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा: क0 174-SW-(1) 2018 दिनांक: 7-2-2018

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़ ।

कमांक:

दिनांक:

विषय:— डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना ।

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र कमांक 75—स.क.(1)—2008 दिनांक 16.01.08, कमांक 1696 — स.क. (1) दिनांक 18.8.09 तथा कमांक 1198—एस.डबल्यु.(1)—2016 दिनांक 15.09.2016के संदर्भ में ।

2. हरियाणा के राज्यपाल महोदय द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डा0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आयसीमा 2.50 लाख रू0 से बढ़ाकर 4.00 लाख रू0 कर दिया गया है ।

3. स्कीम की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

4. यह स्वीकृति वित विभाग के अशा: क0 1/124/92—5 एफ0जी0—ाा/38002 दिनांक 6.02.2018 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

-Sd

अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

पृ0क0 174-SW-(1)2018 दिनांक: 7-2-2018

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ ।
2. महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
3. वितायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. उच्चतर शिक्षा आयुक्त हरियाणा, पंचकूला ।
5. महानिदेशक, सकैण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
6. महानिदेशक, स्वास्थय सेवाऐं, हरियाणा, पंचकूला ।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
8. निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ ।
9. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में ।
10. रजिस्ट्रार, हरियाणा राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय ।
11. सचिव, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पंचकूला ।
12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
13. उपनिदेशक प्रशिक्षण, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।

14. अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा ।
15. सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

Raghubir Singh

अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशा: क0 1/124/92-5 एफ0जी0-II/38002 दिनांक 6.02.2018 के संदर्भ में प्रेषित है ।

-Sd-
अधीक्षक,
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
चंडीगढ़ ।

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

अशा: क0 दिनांकः

(To be substituted bearing Same No. & Date)

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा,
बेज न0 53–54,कल्याण भवन, सैक्टर–2, पचंकूला।

यादि क्रमांकः 322-SW(1)-2021
दिनांक चण्डीगढ 20 जुलाई, 2021

विषयः– डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना।

****

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र कमांक 75–स0क0(1)–2008, दिनांक 16.01.08, 1696–स0क0(1)–18.08.2009, 1198–स0क0(1)–2016, दिनांक 15.09.2016 तथा क्रमांक 174–स0क0(1)–2018, दिनांक 07.02.2018 सन्दर्भ में।

2. हरियाणा के राज्यपाल डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत वर्तमान में दिये जा रहे अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति, घुमन्तू, अर्ध घुमन्तु जाति तथा पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' एवं 'बी' के मेधावी छात्र/छात्राओ को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में समाज के अन्य वर्गो के मेधावी छात्र/छात्राओ को पिछड़े वर्ग ब्लाक 'बी' के समान छात्रवृति प्रदान करने हेतू निम्न अनुसार सहर्ष आदेश देते है:–

क्र0सं0	प्रावधान
1.	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध–घुमन्तु, टपरीवास एवं समाज के अन्य वर्गों के छात्रों के लिये।
2.	अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमन्तु, अर्ध–घुमन्तु, टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:–

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	70	60	11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष	
			1. आर्टस	8000
			2. कॉमर्स/सांईस व सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष	8000
			3. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज	9000
			4. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	10000
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष	
			1. आर्टस/कॉमर्स/सांईस	9000
			2. इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी व्यवसायिक कोर्सिज	11000
			3. मैडिकल तथा अलाईड कोर्सिज	12000

क्र0सं0	प्रावधान
3.	पिछड़े वर्ग ब्लाक 'ए' के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:–

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	70	60	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000

–पृष्ठ जारी

4.	पिछड़े वर्ग ब्लाक 'बी' के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:–

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	80	75	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000

5.	समाज के अन्य वर्गों के मेधावी छात्र/छात्रों को पिछडे वर्ग ब्लाक 'बी' के छात्रों के समान अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:

छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।	छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2	3	4	5
मैट्रिक	80	75	11 वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष।	8000

6.	<u>छात्रवृति हेतु पात्रता की शर्ते</u> 1. विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। 2. सभी साधनों से पारिवारिक वार्षिक आय 4.00 लाख रूपये से अधिक न हो। 3. स्कीम की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

3. विभाग मामले में यह भी सुनिश्चित करेगा कि अगले दो मास के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्कीम को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग हरियाणा के अशा0कमांक 12/05/2021–4एफ0जी0–II/5048 दिनांक 28.04.2021 द्वारा दी गई उनकी मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है।

-Sd-
अधीक्षक समाज कल्याण
कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

दिनांक चण्डीगढ ~~20 जुलाई, 2021.~~ 03 जनवरी, 2022.

पृष्ठांकन कमांक: 322-SW(1)-2021

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ।
2. महालेखाकार (ऑडिट), हरियाणा, चण्डीगढ।
3. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकूला।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा, पंचकूला।
5. निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
6. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
7. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
8. निदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा, पंचकूला।
9. सभी उपायुक्त हरियाणा राज्य में।
10. रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्यालय (हरियाणा राज्य)।
11. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंचकूला।
12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
13. सभी जिला कल्याण अधिकारी (हरियाणा राज्य)।

अधीक्षक समाज कल्याण
कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

प्रेषक

प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉं एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

सेवा में

महानिदेशक,
अनुसूचित जातियॉं एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ।

यादि क्रमांक: 322-SW(1)-2021
दिनांक चण्डीगढ 20 जुलाई, 2021

विषय:– डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 75–स0क0(1)–2008, दिनांक 16.01.08, 1596–स0क0(1)–18.08.2009, 1198–स0क0(1)स–2016, दिनांक 15.09.2016 तथा क्रमांक 174–स0क0 (1)–2018, दिनांक 07.02.2018 सन्दर्भ में।

2. हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जातियॉं एवं पिछड़े वर्ग के साथ–साथ अन्य वर्गों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन करने हेतु सहर्ष आदेश देते है:–

<table>
<tr><td>क0सं0</td><td>वर्तमान प्रावधान</td><td>संशोधित प्रावधान</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के साथ–2 विमुक्त घुमन्तु, अर्ध घुमन्तु और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए</td><td>अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग विमुक्त घुमन्तु, और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के साथ–2 अन्य वर्गों के छात्रों के लिए भी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अनुसूचित जाति, विमुक्त घुमन्तु, अर्ध–घुमन्तु और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:</td><td>अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग विमुक्त घुमन्तु, और टपरीवास श्रेणी के छात्रों के साथ–2 अन्य वर्गों के छात्रों के लिए अंकों की प्रतिशतता व छात्रवृत्ति की दरें:</td></tr>
<tr><td></td><td><table>
<tr><td rowspan="2">छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा</td><td colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</td><td rowspan="2">कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी</td><td rowspan="2">छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)</td></tr>
<tr><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
</table></td><td><table>
<tr><td rowspan="2">छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा</td><td colspan="2">आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता</td><td rowspan="2">कक्षा जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी</td><td rowspan="2">छात्रवृत्ति की दर (प्रतिवर्ष)</td></tr>
<tr><td>शहरी</td><td>ग्रामीण</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>मैट्रिक</td><td>80%</td><td>75%</td><td>11वीं व सभी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स का प्रथम वर्ष</td><td>8000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

3. विभाग मामले में यह भी सूनिश्चित करेगा कि अगले दो मास के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्कीम को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक करेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

5. यह स्वीकृति वित्त विभाग हरियाणा के अशा0क्रमांक 12/05/2021–4एफ0जी0–II/5048 दिनांक 28.04.2021 द्वारा दी गई उनकी मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है।

उप सचिव
कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉं एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

–पृष्ठ जारी.......

–25–

पृष्ठांकन क्रमांक: 322-SW(1)-2021

दिनांक चण्डीगढ 20 जुलाई, 2021

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ।
2. महालेखाकार (ऑडिट), हरियाणा, चण्डीगढ।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हरियाणा, पंचकूला।
4. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
5. निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
6. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, पंचकूला।
7. महानिदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा, पंचकूला।
8. निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग हरियाणा, चण्डीगढ।
9. सभी उपायुक्त।
10. रजिस्ट्रार, सभी विश्वविद्याय (हरियाणा राज्य) ।
11. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पंचकूला।
12. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
13. सभी जिला कल्याण अधिकारी (हरियाणा राज्य)।

उप सचिव
कृते: प्रधान सचिव हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

Welfare of SC BC Deptt. Haryana.

Endst. No P-3(OA)/2021/16314 Dated 02/08/2021

Copy of above is forwarded to Supdt. Training Branch for information and necessary action.

Anita Rani 2/8/2021
Dy. Supdt. (P)
for D.G. WSBC Deptt Hr. Chd.
02/8/2021

Anil (Clerk)
Received 4:20pm
02/08/2021